न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर।

परिवाद संख्या 107/2019

सी0एन0आर0नं0—यू0पी0बी0पी0—010016162019

ज्ञानमती उर्फ कृष्णावती बनाम गुल्ले उर्फ अंग्रेज यादव आदि।

दिनांक 14—01—2020

पत्रावली पेश हुई। परिवादिनी मय अधिवक्ता उपस्थित।

तलबी के बिन्दु पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

परिवादपत्र के अनुसार संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि परिवादिनी अनुसूचित जाति (धोबी) की गरीब महिला है। परिवादिनी अपने ससुराल से अपने मायके जून के महीने में भाभी की तबियत खराब होने पर आयी थी, तब से अब तक अपने मायके में ही है। दिनांक 08—08—2019 को समय करीब पौने दो बजे रात्रि को गांव के ही विपक्षी गुल्ले यादव उर्फ अंग्रेज यादव घर में घुस आया और आंगन में लेटी परिवादिनी के साथ छेड़खानी करने लगा। परिवादिनी के विरोध करने पर घर के बाहर खड़ा नरेश कुमार यादव को बुला लिया और परिवादिनी को जाति—सूचक शब्द धोबाइन साली की गाली देते हुए मारने लगा। तभी छत पर लेटी परिवादिनी की मॉ सुन्दरपता तथा बहन शिवमती आवाज सुनकर, आकर, घटना को देखकर शोर मचायी, तब तक गांव के तमाम लोग इकट्ठा होने लगे, तब विपक्षीगण वहॉ से भाग निकले। अगले सुबह जब परिवादिनी थाना हाजा पर प्रार्थना—पत्र देने जा रही थी तो रास्ते में विपक्षीगण मिलकर धमकी दिये कि अगर हमारे खिलाफ थाने पर प्रार्थना—पत्र दी तो दुबारा इज्जत लूट लेंगे।

परिवादिनी की ओर से परिवादिनी ज्ञानमती उर्फ कृष्णावती का बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 तथा गवाह पी0डब्लू0—1 सुन्दरपती तथा पी0डब्लू0—2 ताजेन्द्र का बयान अन्तर्गत धारा 202 द0प्र0सं0 अंकित कराया तथा अभिलेखीय साक्ष्य में कागज सं0 4ख मूल शपथ—पत्र, कागज सं0 5ख/1 पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को भेजे गये प्रार्थना—पत्र की छाया प्रति, कागज सं0 5ख2 मूल रजिस्ट्री रसीद, कागज सं0 7ख आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल की है।

परिवादपत्र में वर्णित तथ्यों, परिवादिनी के बयान धारा 200 द0 प्र0सं0 तथा उपरोक्त गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा 202 द0प्र0सं0 तथा प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण गुल्ले उर्फ अंग्रेज यादव तथा नरेश यादव के विरूद्ध जाति—सूचक शब्दों की गाली—गलौज करने के कारण प्रथम दृष्टया धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3 (1) (एस) एस0सी0/एस0टी एक्ट का अपराध बनता है। तद्नुसार उपरोक्त विपक्षीगण उपरोक्त धाराओं में विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य

हैं।

आदेश

विपक्षीगण गुल्ले उर्फ अंग्रेज यादव तथा नरेश यादव धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3 (1) (एस) एस0 सी0/एस0टी0 एक्ट में विचारण हेतु बजरिये सम्मन दिनांक 03–02–2020 नियत कर, तलब किये जायें। पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिमान दिनांक 03–02–2020 को पेश हो। परिवादिनी पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

दिनांक 14–01–2020

विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर।